संख्याः 5640 (1)/18(1)/2005

प्रेषक,

सोहन लाल,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
चम्पावत।

राजस्व विभाग

देहरादूनः दिनांकः 18 नवम्बर, 2005

विषयः—जनपद चम्पावत के कलैक्ट्रेट भवन निर्माण हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—119/नवम्—14/2004—05 दिनांक 28 अक्टूबर, 2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नवसृजित जनपद चम्पावत के कलैक्ट्रेट भवन के निर्माण हेतु अनुमोदित आगणन रु0 187.34 लाख के विपरीत समस्त धनराशि निर्गत की जा चुकी है। पुनः उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित आगणन रु0 240.38 लाख का टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त रु0 227.40 लाख के आगणनों को औचित्यपूर्ण पाया गया। इस प्रकार रु0 227.40 लाख की लागत पर प्रशासनिक एंव वित्तीय अनुमोदन तथा अवशेष धनराशि रु0 40.06 लाख (रु0 चालीस लाख छः हजार मात्र) की वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1— आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरे शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक है।

2— कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाये।

.....(2)

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

4– एक मुश्त प्राविधान को कार्य कराने से पर्वू विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एंव लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2006 तक पूर्ण उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

7– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एंव भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

8– कार्य की गुणवत्ता एंव समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी मानी जायेगी।

9– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाये, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।

10– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाये तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाये।

11– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–6 लेखाशीर्षक–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–60–अन्य भवन–आयोजनागत–051–निर्माण–0104–कलक्ट्रेट भवनों का निर्ताण–00–24–वृहद निर्माण कार्य की मद के नामें डाला जायेगा।

....(3)

12– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–46/XXVII(5)/2005 दिनांक 11 नवम्बर, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सोहन लाल)
अपर सचिव।

संख्या एंव तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2– कोषाधिकारी, चम्पावत।
3– अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम कलैक्ट्रेट भवन सिरखण्डचौड़, पिथौरागढ़ इकाई, चम्पावत
4– अपर सचिव, नियोजना विभाग, उत्तरांचल शासन।
5– वित्त अनुभाग–5, उत्तरांचल शासन।
6– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव।